(69)

न्यायालय—श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी क्रमांक निग-3209-2016 सन्

नन्नी बाई पुत्री श्री झल्ला अहिरवार आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम एरोरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0

निगरानी कर्ता

बनाम

1. गोली तनय जुगरूआ अहिरवार आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम लखनगुवां तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0 गैर निगरानी कर्ता
2. छविलाल अहिरवार तनय बन्दू ग्राम एरोरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0
3. शिद्दा तनय भरोसा आयु 60 वर्ष ग्राम एरोरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0
4. गोटिया पुत्री भरोसा आयु 50 वर्ष ग्राम एरोरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0
5. ठगिया पुत्री भरोसा आयु 45 वर्ष ग्राम एरोरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0
6. घनश्याम तनय जुगरूवा आयु 50 वर्ष ग्राम लखनगुवां तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0
7. लडू बाई पुत्री जुगरूवा आयु 40 वर्ष ग्राम लखनगुवां तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0
8. म0प्र0शासन

गैर निगरानी कर्ता

श्री ... अभि0 द्वारा आज दि. 20.9.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.9.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी—विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय बिजावर तहसील बिजावर जिला छतरपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 105/अपील/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2016 ।
अन्तार्गत धारा—50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करती है—

1. यह कि भूमि खसरा क्रमांक 43, 46, 101, 176, 324, 328, 338, 409 कुल किता 8 एकत्र रकवा 5.718 हे0 स्थित ग्राम एरोरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0 के 1/2 भाग की स्वामी व आधिपत्यधारी निगरानीकर्ता के पिता श्री झल्ला अहिरवार रहे है । झल्ला अहिरवार के तीन पुत्रियां थी, जिनका विवाह हो गया था उनमें से निगरानी कर्ता नन्नी बाई अपने पिता के साथ ग्राम एरोरा में निवास करती थी व पिता श्री झल्ला अहिरवार की सेवा खुसामत करती थी व शेष दोनों बहने अपनी अपनी ससुराल में निवास करती थी जिस कारण झल्ला अहिरवार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3209-एक/2016 जिला - छतरपुर नन्नीबाई विरूद्ध गोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के प्रकरण क्रमांक 105/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

27.12.18

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

27.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य